संख्या-288/2017/1972/22-2-2016-17(21)/2017

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,

संयुक्त सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 11 अप्रैल, 2017***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रामायन गिरि पुत्र श्री चन्द्रमा गिरि निवासी जनपद-गाजीपुर की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-34860/प्रोबेशन-3/(एम-06-09-2016) दिनांक-26-09-2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रामायन गिरि पुत्र श्री चन्द्रमा गिरि, निवासी-ग्राम-बबुरा मदनही, थाना-नन्दगंज, जनपद-गाजीपुर का रहने वाला है। रास्ते के विवाद को लेकर दिनांक 14.05.2001 को बन्दी ने 04 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बंदूक से अनिल गिरि व अमीन गिरि पर हमला कर अनिल गिरि की हत्या की तथा अमीन गिरि घायल हो गया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-171/2001 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-147, 148, 307/149, 302/149 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश, (फास्ट ट्रैक, कोर्ट सं0-3), गाजीपुर द्वारा दिनांक 10-01-2003 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया हैं। बन्दी के 04 अन्य सहअभियुक्त कारागार में निरूद्ध है। बन्दी द्वारा दिनांक 07-06-2015 तक 14 वर्ष 00 माह 22 दिन की अपरिहार तथा 18 वर्ष 02 माह 09 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, गाजीपुर की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 11.07.2016 को जिला कारागार, गाजीपुर में सम्पन्न हुई, जिसमें पुलिस अधीक्ष्क, गाजीपुर, जिला प्रोबेशन अधिकारी, गाजीपुर, अधीक्षक, जिला कारागार, गाजीपुर द्वारा प्रतिभाग किया गया। समिति के समक्ष बन्दी द्वारा कारित प्रकरण से सम्बन्धित पत्रावली विवरण सहित जेल अधीक्षक, गाजीपुर द्वारा प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में समिति द्वारा बन्दी के प्रकरण में विचार किया गया। समिति द्वारा बन्दी अपराध के दृष्टिगत समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं पाया गया। अत: समिति ने बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड की आख्या में अंकित किया गया है कि बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी रामायन गिरि पुत्र श्री चन्द्रमा गिरि को फार्म-ए/लाईसेंस पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- उपरोक्त् वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी रामायन गिरि (बन्दी संख्या-42473) पुत्र श्री चन्द्रमा गिरि निवासी जनपद-गाजीपुर के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)

संयुक्त सचिव।

संख्या-288/2017/1972(1)/22-2-2016 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, गाजीपुर।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।

3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)

संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्या-288/2017/1972/22-2-2017-17(21)/2017

दिनांक 11 अप्रैल, 2017 का संलग्नक

<u>सरकार के आदेश</u>

केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रामायन गिरि पुत्र श्री चन्द्रमा गिरि, निवासी-ग्राम-बबुरा मदनही, थाना-नन्दगंज, जनपद- गाजीपुर का रहने वाला है। रास्ते के विवाद को लेकर दिनांक 14.05.2001 को बन्दी ने 04 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बंदूक से अनिल गिरि व अमीन गिरि पर हमला कर अनिल गिरि की हत्या की तथा अमीन गिरि घायल हो गया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-171/2001 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-147, 148, 307/149, 302/149 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश, (फास्ट ट्रैक, कोर्ट सं0-3), गाजीपुर द्वारा दिनांक 10-01-2003 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया हैं। बन्दी के 04 अन्य सहअभियुक्त कारागार में निरूद्ध है। बन्दी द्वारा दिनांक 07-06-2015 तक 14 वर्ष 00 माह 22 दिन की अपरिहार तथा 18 वर्ष 02 माह 09 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, गाजीपुर की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 11.07.2016 को जिला कारागार, गाजीपुर में सम्पन्न हुई, जिसमें पुलिस अधीक्षक, गाजीपुर, जिला प्रोबेशन अधिकारी, गाजीपुर, अधीक्षक, जिला कारागार, गाजीपुर द्वारा प्रतिभाग किया गया। समिति के समक्ष बन्दी द्वारा कारित प्रकरण से सम्बन्धित पत्रावली विवरण सहित जेल अधीक्षक, गाजीपुर द्वारा प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में समिति द्वारा बन्दी के प्रकरण में विचार किया गया। समिति द्वारा बन्दी अपराध के दृष्टिगत समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं पाया गया। अतः समिति ने बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड की आख्या में अंकित किया गया है कि बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी रामायन गिरि पुत्र श्री चन्द्रमा गिरि को फार्म-ए/लाईसेंस पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।